"बिजनेस पोस्ट् के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 जनवरी 2006—माघ 3, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक 625/21-अ/प्रारुपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-1-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2005 है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा-4 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्र. 23 सन् 1999) की धारा-4 की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्य को, यदि पूर्व में वापिस न बुलाया गया हो, तो वे धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे.

परंतु प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को पदावधि का अवसान होने पर, यदि नई प्रबंध समिति गठित नहीं की जाती है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि में वृद्धि, ऐसी वृद्धि के लिए कारण अभिलेख पर रखते हुए ऐसे अवसान की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए कर सकेगी."

निरसन. 3. छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्र. 3 सन् 2005) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक 625/21-अ/प्रारुपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्र. 6 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 6 of 2006)

THE CHHATTISGARH SINCHAI PRABANDHAN ME KRISHAKON KI BHAGIDARI (AMENDMENT) ADHINIYAM, 2005

An Act to an nd of Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishakon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty Sixth year of the republic of India as follows :—

1\. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishakon Ki Bhagidari (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005. **Short title and Commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2\. For Sub-section (5) of section 4 of the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishakon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999) the following shall be substituted, namely :— **Amendment of Section 4.**

"The President and the members of the Managing Committee shall if not recalled earlier, be in office for a term of five years from the date of appointment of the competent authority under sub-section (1) of section 21 . . .

Provided that if on the expiry of the term of the President and the members of the Managing Committee, a new Managing Committee is not constituted, the State Government may by notification extend the term of the President and the members of the Managing Committee for a period of One year from the date of expiry, with reasons for such extension being placed on record."

3\. The Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishakon Ki Bhagidari (Amendment) Ordinacne, 2005 (No. 3 of 2005) is hereby repealed. **Repeal.**

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.